# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

म0 138/2018 तारीख रजू 17.12.2018

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

गरवरूप पुत्र लल्लू जाति ब्राह्मण निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. श्रीमति कमलेश देवी पत्नि दिनेश कुमार
2. श्रीमति रामादेवी पत्नि हरसहाय
3. दिनेश कुमार पुत्र हरसहाय
4. राधा पुत्री हरसहाय
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. पायल पुत्री हरदयाल जरिये तुलसीराम शर्मा चेतराम कालोनी हिण्डौन सिटी
6. मनोहर लाल पुत्र लल्लू
7. जगदीश पुत्र लल्लू
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा।
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकासमा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रतिवादीगण 1 ता 4)

श्री सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादीगण 5 व 7)

निर्णय दिनांकः– 16.03.2020

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोरडा स्थित आराजी ख0न0 337/0.20, 1672/0.65, 1673/0.29, 1739/0.04, 1740/0.26, 1741/0.25, 1747/0.43, 3393/0.90, 3463/0.34, कुल किता 9 कुल रकवा 3.36 है0 वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 7 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिसमे वादी का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी न0 6 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 7 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी न0 2 से 5 का हिस्सा 1/20 है। हाल ख0न0 1750 रकवा 0.38 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी न0 5 व 6 की स्व0 माता किशनप्यारी व प्रतिवादी न0 2 रामेदवी की सास, प्रतिवादी न0 3 व 4 की दादी व प्रतिवादी न0 5 की परदादी किशनप्यारी के नाम दर्ज है। जिसमे वादी 1/4 हिस्से का प्रतिवादी न0 6 हिस्सा 1/4 का, प्रतिवादी न0 7 हिस्सा 1/4 के खातेदार है। किशनप्यारी की मृत्यु दिनांक 30.09.2017 को हो चुकी है। उक्त खसरा नम्बर 1750 रकवा 0.38वादी एवं प्रतिवादी न0 2 ता 7 की सामलाती खातेदारी व कब्जे की आराजी है मृतका किशन प्यारी का एक पुत्र हरसहाय फौत हो चुका है। तथा एक पौत्र हरदयाल पुत्र हरसहाय फौत हो चुका है। उसकी पत्नि जमना ने पुर्नविवाह कर लिया है मृतका की पुत्रीया विवाहित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 7 के मध्य विधिवत बटवारा नही हुआ है लेकिन मौके पर बहुत पूर्व ही बटवारा कर रखा है। बहामी बटवारे से वादी के हिस्से मे ख0न0 1739 मे से 0.02 है0 ख0न0 1740 मे से 0.13 है0, 1747 मे से 0.11 है0 व ख0न0 1750 मे से 0.38 व ख0न0

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

3393 मे से 0.30 है0 भूमि आयी है। ख0न0 1747 मे वादी ने पक्का कैटल शेड व चारा स्टोर का निर्माण कर रखा है। वादी सीधा साधा राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी है पूर्व मे भारतीय सेना मे सेवाए प्रदान की है। प्रतिवादीगण लठैत, प्रभावी व प्रतिष्ठित व्यापारी एवं राजकीय सेवा मे वर्तमान मे कार्यरत है। जो उचे रसूखात वाले व्यक्तियो से संबध रखते है। बहामी बटवारे मे आयी आराजी को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग व काश्त नही करने देते है झगडा फसाद करते रहते है इसलिये भूमि पर सम्मिलित काश्त करना असंभव हो गया है। ख0न0 1747 मे रास्ते को लेकर विवाद होता रहता है। नायब तहसीलदार बालघाट के द्वारा दिनांक 3.7.18 को सीमाज्ञान भी कराया जा चुका है फिर भी वे नही माने। प्रतिवादी न0 6 व 7 की माताजी प्रतिवादी न0 2 की सास प्रतिवादी न0 3 व 4 की दादी, प्रतिवादी न0 5 की परदादी रामप्यारी फौत हो चुकी है प्रतिवादी न0 2 के पति व प्रतिवादी न0 5 के बाबा हरसहाय फौत हो चुके है। प्रतिवादी न0 5 के पिता हरदयाल फौत हो चुके है। जिनके जायज कायम मुकाम कानूनी वारिस प्रतिवादीगण है। दिनांक 21.11.2018 को प्रतिवादी न0 7 द्वारा वादी के हिस्से की आराजी ख0न0 1747 रकवा 0.11 है0 से बेदखल करने, डौल मेड मे खडे पेडो को दरोह करने की धमकी देने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि ग्राम मोरडा स्थित आराजी ख0न0 737/0.20, 1672/0.65, 1673/0.29, 1739/0.04, 1740/0.26, 1741/0.25, 1747/0.43, 3393/0.90, 3463/0.34, 1750/0.38 कुल किता 10 कुल रकवा 3.74 है0 मे वादी का 1/4 हिस्सा अलग कायम कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के बहामी हिस्से व कब्जेअनुसार आयी भूमि के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 6, 8, 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी न0 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/20 हिस्सा है, ख0न0 1750 रकवा 0.38 मे प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है काबिज दखिल चले आ रहे है। यह सही है कि जमना द्वार पुर्नविवाह कर लिया है जमना की पुत्री सायल अपनी मॉ जमना के नाम अपने सौतेले पिता वेदप्रकाश के साथ हिण्डौन मे रह रही है। बहामी बटवारा होना स्वीकार है लेकिन वादी का ख0न0 1750 को सम्पूर्ण भाग तथा ख0न0 3393 मे से 30 ऐयर भूमि पर काबिज होना स्वीकार नही है। नाही ख0न0 1747 मे वादी ने पक्का केटल सेड व चारा स्टोर बना रखे है। रामप्यारी नाम की महिला की फौत होने की जानकारी नही है। नाही रामप्यारी नाम की महिला प्रतिवादी न0 2 की सास, प्रतिवादी न0 3 व4 की दादी है। रामप्यारी नाम की महिला से प्रतिवादीगण का कोई संबध नही है। दिनांक 21.11.2018 को या कभी प्रतिवादी न0 1 ता 4 के विरूद्ध कोई विनायदावा उत्पन्न नही हुआ है दावा खारिज योग्य है। तथा काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश है कि वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी न0 1 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/20 के रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। मौके पर काबिज एवं दखिल है। काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये मुताबिक हिस्सा बटवारा स्कीम तलब फरमाकर अलग खाता कायम किया जावे।

प्रतिवादी न0 5 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया है कि वादपत्र मे वर्णित कथन विरोधाभासी है वर्णित आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी बताई गई है। दूसरे पैरा मे स्वंय के कब्जे मे होना बताता है। किशन प्यारी वादी एवं प्रतिवादी न0 5 व 6 की स्वर्गवासी माताजी नही है बल्कि वादी एवं प्रतिवादी न0 6 व 7 की माताजी है। काउन्टर क्लेम भी पेश किया है कि वर्णित आराजीयात पूर्व मे प्रार्थीया के बड बाबा लल्लू पुत्र कन्हैया की थी। लल्लू के फौत होने के बाद उक्त आराजीयात प्रार्थीया के बाबा हरसहाय, मनोहरी, जगदीश, रामस्वरूप तथा बडदादी किशनप्यारी के नाम आई किशन प्यारी भी फौत हो चुकी है इसलिये उक्त आराजी मे प्रतिवादी न0 5 हिस्सा 1/16 की खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 द्वारा आपस मे साज कर प्रतिवादी न0 5 के हिस्से को हजफ करने

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

की गरज से बाबा हरसहाय पुत्र लल्लू से साज करके बिना प्रतिफल लिये विक्रय पत्र प्रतिवादी न0 1 के हक मे करवालिया है। जो प्रतिवादी न0 5 के हक के हिस्सा 1/16 तक अवनीसिया बोईड व प्रभावहीन है। अतः उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी न0 5 को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी न0 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया है कि किशनप्यारी वादी एवं प्रतिवादी न0 5 व 6 की स्वर्गवासी माताजी नही है बल्कि वादी एवं प्रतिवादी न0 6 व 7 की माताजी है। जिसमे प्रतिवादी न0 7 का हिस्सा 1/4 है। वादपत्र मे वर्णित कथन विरोधाभासी है वर्णित आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी बताई गई है। दूसरे पैरा मे स्वंय के कब्जे मे होना बताता है। काउन्टर क्लेम भी इस प्रकार पेश किया है कि ख0न0 337/0.20, 1672/0.65, 1673/0.29, 1739/0.04, 1740/0.26, 1741/0.25, 1747/0.43, 3393/0.90, 3463/0.34, कुल किता 9 कुल रकवा 3.36 है0 मे प्रतिवादी न0 7 बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है तथा ख0न0 1750 रकवा 0.38 है0 जो मॉ किशनप्यारी के नाम है उनके फौत होने पर उसमे भी 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी न0 7 ख0न0 1672, 1739, 1747, 3463 मे अपने 0.91 है0 पर काबिज है तथा ख0न0 1750 मे अपने 1/4 हिस्से पर काबिज है। अतः अपनी अलग खातेदारी कायम कराने का अधिकारी है वादी का दावा कब्जे के अभाव मे चलने योग्य नही है प्रतिवादी न0 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये हिस्सा 1/4 का अलग खाता कायम किया जावे।

वकील उभयपक्ष ने सीधे ही बहस करने का कथन किया कि यह प्रकरण भूमि के तकास्मा से संबधित है। वकील उभयपक्ष की सहमति दर्ज कराने से सहखातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अलग– अलग खाता कायम कराने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

बटवारा स्कीम पर वकील उभयपक्षकारान ने बटवारा स्कीम के मद न0 1 ता 4 को स्वीकार किया किन्तु मद न0 5 के लिये यह कथन किया कि इस मद मे वर्णित आराजीयात का भी खातेदारान का अलग–अलग हिस्सा कायम करवाया जावे। और पुनः बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। आपत्ति स्वीकार करते हुये तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये गये कि बटवारा स्कीम के मद न0 5 मे सम्मिलित आराजीयात की बटवारा स्कीम तैयार कर बटवारा स्कीम पुनः प्रस्तुत करे। तहसीलदार टोडाभीम की और से दिनांक 24.02.2020 को तैयार की गई बटवारा स्कीम तहसीलदार के पत्रांकः– 688 दिनांक 25.02.2020 से प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

वादी की और से प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम इस प्रकार पेश किया कि ख0न0 1740 पर वादी काबिज है इसलिये 1740/1 रकवा 0.15, 1740/2 रकवा 0.07 वादी को दिया जावे उसके स्थान पर ख0न0 3393 रकवा 0.29 है0 मे से गीता देवी पुत्री लल्लू व राधव, जितेन्द्र वगै0 को दिया जावे। वादी को सडक पर मात्र ख0न0 1740/3 रकवा 0.04 है0 भूमि ही दी है जबकि जगदीश मनोहर कमलेश को 1672/1 रकवा 0.32 है0 , 1772/2 रकवा 0.33 है0 337/1 रकवा 0.11 भूमि दी है अतः उक्तानुसार भूमि दिलाई जावे। वादी वकील ने अपनी बहस मे भी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराया। प्रतिवादीगण के वकीलो ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि मौके के अनुसार बटवारा स्कीम सही तैयार की गई है। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम का अवलोकन करते हुये वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पुनः प्राप्त हुई बटवारा स्कीम का भी अवलोकन किया। पुनः बटवारा स्कीम तैयार करते समय पक्षकारान को उपस्थित रहने हेतु सुनवाई के समय ही निर्देशित कर दिया गया था। दिनांक 24.02.2020 को तैयार की गई बटवारा स्कीम पक्षकारान की उपस्थिति मे कब्जानुसार बटवारा स्कीम तैयार की गई है। इसलिये प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तथा बटवारा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

स्कीम दिनांक 24.02.2020 के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाने से दावा फाईनल डिक्री किया जाता है।

अतः वादी रामस्वरूप पुत्र लल्लू जाति ब्राह्मण राहिन बी.ओ.बी. शाखा मोरडा मुर्तहीन को ग्राम मोरडा की आराजी ख0न0 1750/0.38, 3393/2/0.29, 1747/4/0.05, 1747/8/0.02, 1747/11/0.04, 1740/3/0.04 कुल किता 6 कुल रकबा 0.82 है0 का, प्रतिवादी कमलेश देवी पत्नि दिनेश कुमार जाति ब्राह्मण राहिन बी.ओ.बी. शाखा मोरडा मुर्तहीन को ग्राम मोरडा की आराजी ख0न0 1741/2/0.05, 1672/1/0.32, 3393/1/0.30 कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है0 का, प्रतिवादी जगदीश पुत्र लल्लू जाति ब्राहाण हिस्सा 67/82 बिला रहन एवं हिस्सा 15/12 राहिन बी.ओ.बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1672/2/0.33, 3463/0.34, 1747/1/0.04, 1747/7/0.02, 1747/9/0.04, 1741/4/0.05 कुल किता 6 कुल रकबा 0.82 है0 का, प्रतिवादी मनोहरलाल पुत्र लल्लू जाति ब्राहामण हिस्सा 67/82 बिला रहन एवं हिस्सा 15/12 राहिन बी.ओ.बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1673/0.29, 3393/3/0.31, 1747/2/0.05, 1747/5/0.02, 1747/10/0.04, 337/1/0.11 कुल किता 6 कुल रकबा 0.82 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। गीता देवी पुत्री लल्लू जाति ब्राह्मण हाल निवासी बालाहेडी तहसील महवा राहिन बी.ओ.बी. शाखा मुर्तहीन को ख0न0 1740/1/0.15 है0 का, मीरा पुत्री प्यारेलाल जाति ब्राहामण निवासी बीजलवाडा राहिन बी.ओ.बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1741/3/0.11, 1739/0.04 है0 का, राघवेन्द्र, जीतेन्द्र पि0 ओमप्रकाश, गुडडी पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहामण निवासी पदमपुरा राहिन बी.ओ. बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1740/2/0.07, 337/2/0.09 है0 का, रामादेवी पत्नि हरसहाय जाति ब्राह्मण राहिन बी.ओ.बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1747/2/0.04 है0 का, पायल पुत्री हरदयाल जाति ब्राहामण हाल निवासी हिण्डौन राहिन बी.ओ.बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1741/2/0.04 है0 का, दिनेश कुमार पुत्र हरसहाय, राधा पुत्री हरसहाय हि.ब. जाति ब्राह्मण राहिन बी.ओ.बी. मोरडा मुर्तहीन को ख0न0 1747/3/0.05, 1747/6/0.02 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की कब्जे काश्त की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। नक्शा ट्रेस संलग्न रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

16/3/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

नोट – दिनाँक 29.10.2020

निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 की 21वीं लाइन में 1747/2/0.04 है0 के स्थान पर 1747/12/0.04 है0 तथा 22वीं लाइन में 1741/2/0.04 है0 के स्थान पर 1747/1/0.04 है0 पढ़ा जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)